(68)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1603–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–5–2011 पारित द्वारा तहसीलदार परगना राघोगढ जिला गुना, प्रकरण क्र. 95/अ–12/2010–11

शिवचरण पुत्र खुमान लौधा
निवासी ग्राम भोलापुरा तहसील राघौगढ
जिला गुना

.....आवेदक

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन
2–श्रीमती किरण पत्नि चन्द्रकांत शिवहरे
निवासी साडा कॉलोनी भोलापुरा तहसील राघौगढ
जिला गुना

.....अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी0के0शुक्ला, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री प्रेमसिंह पाल, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/7/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार परगना राघौगढ जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–5–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत ग्राम भोलापुरा तहसील राघौगढ

जिला गुना स्थित भूमि सर्वे नम्बर 54 रकबा 1.411 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 55/1 रकबा 2.550 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 52/1 रकबा 2.090 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 95/अ–12/2010–11 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 23–5–2011 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा उपरोक्त भूमियों में से सर्वे कमांक 52/1 में से 0.627 हेक्टेयर भूमि दिनांक 2–7–74 को कय की गई थी और वर्तमान में उसके आधिपत्य में चली आ रही है । इसके बावजूद तहसील न्यायालय द्वारा बिना उसे सूचना दिये सीमांकन किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक की होने से अनावेदक कमांक 2 को सीमांकन कराये जाने का अधिकार नहीं था, इस स्थिति पर बिना विचार किये तहसीलदार द्वारा सीमांकन आदेश पारित करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को सूचना नहीं दी गई है और स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन नहीं किया गया है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का सीमांकन आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत विधिवत् प्रकिया अपनाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी आवेदक को नहीं होकर प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं है इसलिये उसे सूचना दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा व्यवहार वाद कमांक 02–ए/2014

प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिनांक 3–9–2015 को आदेश पारित कर आवेदक का अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् सीमांकन कराया जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि सीमाकन किये जाने संबंधी सूचना पत्र आवेदक को जारी की गई है जिसे उसके द्वारा लेने से इंकार किया गया है । अतः स्पष्ट है कि सीमांकन की जानकारी आवेदक को प्रारंभ से रही है और उसके द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है, जो इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत् सीमांकन कराया जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है जो कि हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार परगना राघौगढ जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–5–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर